

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या 1424 / 2011 / जयपुर

वाणिज्यिक कर अधिकारी,
प्रतिकरापवंचन, वृत्त-बांसवाड़ा

अपीलार्थी

बनाम

मैसर्स ए.बी.एन्टर प्राईजेज,
चांदपोल, जयपुर

प्रत्यर्थी

एकलपीठ

श्री मदन लाल मालवीय, सदस्य

स्वमेव संशोधन आदेश दिनांक 11.04.2017

उक्त अपील का निस्तारण एकलपीठ द्वारा दिनांक 20.02.2017 को किया गया था, जिसके पेज संख्या 3 के अन्तिम पैरा में "प्रस्तुत अपील स्वीकार कर अपीलीय अधिकारी के अपीलाधीन आदेश दिनांक 17.03.2011 की पुष्टि की जाती हैं" टंकित हो गया है जबकि "प्रस्तुत अपील अस्वीकार कर अपीलीय अधिकारी के अपीलाधीन आदेश दिनांक 17.03.2011 की पुष्टि की जाती हैं" टंकित होना चाहिए था।

अतः आदेश दिये जाते हैं कि "प्रस्तुत अपील स्वीकार कर अपीलीय अधिकारी के अपीलाधीन आदेश दिनांक 17.03.2011 की पुष्टि की जाती हैं" के स्थान पर "प्रस्तुत अपील अस्वीकार कर अपीलीय अधिकारी के अपीलाधीन आदेश दिनांक 17.03.2011 की पुष्टि की जाती हैं" पढा जावे।

इस आदेश की प्रति मूल निर्णय के साथ संलग्न की जावे तथा जिस जिस को निर्णय दिनांक 20.02.2017 की प्रति भिजवाई गई हो, उन्हें संशोधन आदेश की ^{प्रति} प्रेषित की जावे।

(मदन लाल मालवीय)
सदस्य